



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11112020-223045
CG-DL-E-11112020-223045

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576]
No. 576]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 11, 2020/कार्तिक 20, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 11, 2020/KARTIKA 20, 1942

गृह मंत्रालय
(नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2020

सा.का.नि. 706 (अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय के अधीन, नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड में समूह 'क' और समूह 'ख' राजपत्रित पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, नेशनल इंटेलीजेंस ग्रिड (समूह 'क' और समूह 'ख' राजपत्रित पद भर्ती नियम, 2020 है।
(2) वे शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- ये नियम इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर : पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उक्त पदों से संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. निरर्हता – वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; अथवा

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परंतु यदि केंद्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहां केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. निदेशक (जोखिम प्रबंध)	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-13 (1,23,100-2,15,900/-रुपये)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियाँ जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।
(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12(78,800-2,09,200 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से इलेक्ट्रॉनिक या संचार या विद्युत में प्रौद्योगिकी या इंजीनियरी या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में बैचलर; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठन या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं में प्रबंध सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना का पन्द्रह वर्ष का अनुभव। वांछनीय: प्रबंध सूचना सुरक्षा जिसके अंतर्गत सूचना प्रौद्योगिकी अवसंरचना की लेखापरीक्षा भी है, का तीन वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. उप-सचिव (बैंकिंग)	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12 (78,800-2,09,200 रुपये)।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)	(11)	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11(67,700-2,08,700 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) भारतीय रिजर्व बैंक या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बैंक में खुदरा या व्यापारिक बैंककारी का दस वर्ष का अनुभव। बांछनीय: भारत का प्रमाणित सहयोगी बैंककारी संस्थान (सीएआईआईबी); टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक	

	पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. उप-सचिव (परिवहन)	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12 (78,800-2,09,200 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।
(10)	(11)	
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11(67,700-2,08,700 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में वाहन रजिस्ट्रीकरण या ड्राइविंग लाइसेंस या मोटर यान अधिनियम की कार्यवाही करने के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव।	

	टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. उप-सचिव (अप्रवास)।	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12 (78,800-2,09,200 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11(67,700-2,08,700 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या

	स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में अप्रवास और वीजा के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उप-सचिव (एमसीए)।	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-12 (78,800-2,09,200 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 11(67,700-2,08,700 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर

	डिग्री; और (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में कॉर्पोरेट कार्य और कंपनी अधिनियम की कार्यवाही करने के क्षेत्र में दस वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. उप-निदेशक (विधि)	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10 (56,100-1,77,500 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और

	(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विधि में बैचलर डिग्री (एल.एल.बी.); (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में संविदाओं और विधिक विषयों की कार्यवाही करने के क्षेत्र में सात वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. उप-निदेशक (बीएमएस सुविधा – डीसी)	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं;

	या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56,100-1,77,500 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत या यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक या संचार विद्या शाखा में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में बैचलर; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) या इंटेलीजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईबीएमएस) फैसिलिटी मैनेजमेंट के परिचालन में सात वर्ष का अनुभव। वांछनीय : आंकड़े केंद्र या आंकड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम (डीसीआईएम) के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) के परिचालन में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. उप-निदेशक (बीएमएस सुविधा - डीआर)	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56,100-1,77,500 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से विद्युत या यांत्रिक या इलेक्ट्रॉनिक या संचार विषय में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में बैचलर; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) या इंटेलीजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईबीएमएस) फैसिलिटी मैनेजमेंट के परिचालन में सात वर्ष का अनुभव। वांछनीय : आंकड़े केंद्र या आंकड़े इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट सिस्टम (डीसीआईएम) के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) के परिचालन में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. उप-निदेशक (आरएम – एफआईयू)	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700- 2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56,100-1,77,500 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में वित्तीय धोखाधड़ी प्रबंध में सात वर्ष का अनुभव। वांछनीय : धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के बारे में कार्यवाही करना। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. उप-निदेशक (यूए प्रतिनिधि)	2* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56,100-1,77,500 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में सुरक्षा या विधि प्रवर्तन का सात वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की

	अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. उप-निदेशक (आंतरिक सुरक्षा).	1*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56,100-1,77,500 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक या संचार या विद्युत या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में बैचलर; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा प्रबंध का सात वर्ष का अनुभव। वांछनीय : प्रमाणित सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षक (सीआईएसए)

	या प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबंधक (सीआईएसएम)। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. उप-निदेशक (अनुपालन)	1*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56,100-1,77,500 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में संविदा प्रबंध का सात वर्ष का अनुभव।

	टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. उप-निदेशक (योजना)	1*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56,100-1,77,500 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से इलेक्ट्रॉनिक या संचार या विद्युत या कम्प्यूटर विज्ञान या सूचना प्रौद्योगिकी में इंजीनियरी या प्रौद्योगिकी में बैचलर; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी, अवसंरचना योजना का सात वर्ष का अनुभव।

	टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. उप-निदेशक (की प्रबंध)	1*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700- 2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56,100-1,77,500 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में क्रिप्टो सिस्टम को संभालने का सात वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. उप-निदेशक (थीम यूनिट)	5* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56,100-1,77,500 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों से सुरक्षा या विधि प्रवर्तन अभिकरण संबंधी सूचना प्रौद्योगिकी पद्धति से संबंधित कार्य का सात वर्ष का अनुभव। (सुरक्षा और विधि प्रवर्तन अभिकरणों की सूची विज्ञापन या जांच के समय उपलब्ध कराया जाएगा)। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा

	नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. उप-निदेशक (भाषाविद)	7* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-11 (67,700-2,08,700 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 10(56,100-1,77,500 रुपये) या समतुल्य में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) भारतीय भाषा या किसी अन्य भाषा से अंग्रेजी में अनुवाद करने की योग्यता; और (iii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में विधि प्रवर्तन अभिकरणों से संबंधित कार्य का सात वर्ष का अनुभव (सुरक्षा और विधि प्रवर्तन अभिकरणों की सूची विज्ञापन या जांच

	के समय उपलब्ध कराया जाएगा)। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. सहायक निदेशक (की प्रबंध)	1* (2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7(44,900-1,42,400 रुपये) या समतुल्य में दो वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री;

	(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में क्रिप्टो सिस्टम चलाने का दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. सहायक निदेशक (बीएमएस सुविधा-डीसी).	5*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7(44,900-1,42,400 रुपये) या समतुल्य में दो वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री;

	(ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) या इंटेलीजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईबीएमएस) फैसिलिटी मैनेजमेंट के परिचालन में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : आंकड़े केंद्र या आंकड़े केंद्र अवसंरचना मैनेजमेंट सिस्टम (डीसीआईएम) के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के परिचालन में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. सहायक निदेशक (बीएमएस सुविधा - डीआर)	5*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7(44,900-1,42,400 रुपये) या समतुल्य में दो वर्ष नियमित सेवा की है; और

	(ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (बीएमएस) या इंटेलीजेंट बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम (आईबीएमएस) फैसिलिटी मैनेजमेंट के परिचालन में दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : आंकड़े केंद्र या आंकड़े केंद्र अवसंरचना मैनेजमेंट सिस्टम (डीसीआईएम) के लिए बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम के परिचालन में एक वर्ष का अनुभव। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. सहायक निदेशक (आंतरिक सुरक्षा)	1*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी: (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर

	7(44,900-1,42,400 रुपये) या समतुल्य में दो वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा का दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : प्रमाणित सूचना सुरक्षा लेखा परीक्षक (सीआईएसए) या प्रमाणित सूचना सुरक्षा प्रबंधक (सीआईएसएम)। टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	---

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. सहायक निदेशक (अनुपालन)	1*(2020) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है)।	साधारण केंद्रीय सेवा, समूह 'ख' राजपत्रित, अननुसचिवीय	स्तर-8 (47,600-1,51,100 रुपये)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)
प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)।	प्रतिनियुक्ति (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है): केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों के ऐसे अधिकारी:

	(क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पदधारण किए हुए हैं; या (ii) जिन्होंने मूल काडर या विभाग में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 7(44,900-1,42,400 रुपये) या समतुल्य में दो वर्ष नियमित सेवा की है; और (ख) जिसके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हता और अनुभव है : आवश्यक : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से बैचलर डिग्री; (ii) केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों या स्वशासी या कानूनी संगठनों या पब्लिक सेक्टर उपक्रमों या विश्वविद्यालयों या मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों में संविदा प्रबंध का दो वर्ष का अनुभव। वांछनीय : टिप्पण: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56(छप्पन) वर्ष से अधिक नहीं होगी।
--	--

(12)	(13)
लागू नहीं होता।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. सं. 22018/03/2020-CIS. III (Pt. II)]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS**(National Intelligence Grid)****NOTIFICATION**New Delhi, the 11th November, 2020

G.S.R. 706 (E).— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the Group 'A' and 'B' Gazetted posts in the National Intelligence Grid, under Ministry of Home Affairs, namely:-

1. Short title and commencement. - (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Intelligence Grid (Group 'A' and 'B' Gazetted posts) Recruitment Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Application. - These rules shall apply to the posts specified in the column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and level in the pay matrix. - The number of posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

4. Method of recruitment, age-limit, qualifications etc. - The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating the said posts shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

5. Disqualification.— No person, -

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to any of the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. Power to relax. - Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do it may, by orders and for reasons to be recorded in writing in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons or posts.

7. Saving. -Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of posts	Classification	Level in the pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age-limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Director (Risk Management).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General central service, Group 'A', Gazetted, Non -Ministerial.	Level-13 (Rs.1,23,100-2,15,900).	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.
(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made.	

(10)	(11)
Deputation (including short- term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution : (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' regular service in level-12 (Rs. 78,800-2,09,200) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, (b) possessing the following educational qualification

	and experience : Essential : (i) Bachelor of technology or engineering in electronics or communication or electrical or computer science or information technology from a recognised university or institute; (ii) fifteen years' experience in managing information technology infrastructure in central government or state government or union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or recognised research institutes. Desirable: Three years experience of managing information security including audit of information technology infrastructure. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the central government shall ordinarily not exceed five years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
--	---

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which union public service commission to be consulted in making recruitment.
(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Deputy Secretary (Banking).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non – Ministerial.	Level-12 (Rs.78,800-2,09,200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.
(10)	(11)	
Deputation (including short- term contract).	Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a) (i) holding analogous posts or equivalent in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in level-11 (Rs.67,700-2,08,700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, (b) possessing the following educational qualification	

	and experience: Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) ten years' experience in retail or commercial banking in Reserve Bank of India or public sector undertaking banks. Desirable: Certified Associate of India Institute for Bankers (CAIIB); Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
--	---

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. Deputy Secretary (Transport).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-12 (Rs.78,800-2,09,200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
Deputation (including short -term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years regular service in level -11(Rs. 67,700 -2,08,700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, (b) possessing the following educational qualification and experience: Essential: (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) ten years' experience in the field of vehicle registration or driving license or dealing with the Motor Vehicles Act in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or

	statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institute. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
--	--

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. Deputy Secretary (Immigration).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non - Ministerial.	Level-12 (Rs.78,800-2,09,200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
Deputation (including short -term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in level -11 (Rs. 67,700-2,08,700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and, (b) possessing the following educational qualification and experience : Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) ten years' experience in immigration and visa in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of

	applications.
--	---------------

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Deputy Secretary (MCA).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non – Ministerial.	Level-12 (Rs.78,800-2,09,200).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short -term contract).	Deputation (including short-term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' regular service in level -11(Rs. 67,700 -2,08,700) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and, (b) possessing the following educational qualification and experience: Essential : (i) Bachelor degree from recognised university or institute; (ii) experience of ten years' in corporate affairs and dealing with the Companies Act in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institution. Note : Period of deputation (including short-terms contract) including period of deputation (including short-term contract) in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment and the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years, as on the closing date of receipt of the application.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Deputy Director (Legal).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)
Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution : (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) With five years' regular service in level-10 in the pay matrix, (Rs. 56,100 - 1,77,500) or equivalent in the parent cadre or department ; and, (b) Possessing the following educational qualification and experience : Essential: (i) Bachelor degree in law (L.L.B.) from a recognised university or institute; and, (ii) experience of seven years' in handling contracts and legal matters in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. Deputy Director (BMS Facility - DC).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short term contract).	Deputation (including short -term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' regular service in level-10 (Rs. 56,100 -1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and, (b) possessing the following educational qualification and experience Essential : (i) Bachelor of engineering or technology in electrical or mechanical or electronics or communication discipline from a recognised university or institute; and, (ii) experience of seven years' in running of Building Management System (BMS) or Intelligent Building Management System (IBMS) facility management in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. Desirable: One year Experience in running of Building Management System (BMS) for data centre or Data Infrastructure Management System (DCIM). Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. Deputy Director (BMS Facility - DR).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non -Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short -term contract).	Deputation (including short -term contract): Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' regular service in level-10 (Rs. 56,100 -1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and, (b) possessing the following educational qualification and experience Essential : (i) Bachelor of engineering or technology in electrical or mechanical or electronics or communications from a recognised university or institute; and, (ii) experience of seven years' in running of Building Management System(BMS) or Intelligent Building Management System (IBMS) facility management in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes . Desirable : One year experience in running of Building Management System (BMS) for data centre or Data Centre Infrastructure Management System (DCIMS). Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9. Deputy Director (RM-FIU).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non -Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution : (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in the level-10 (Rs. 56,100 - 1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, (b) possessing the following educational qualification and experience : Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; and, (ii) experience of seven years' in financial fraud management in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. Desirable: Dealt with the Prevention of Money Laundering Act (PMLA). Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10. Deputy Director (UA Representative).	2*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short -term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' regular service in level-10 (Rs. 56,100 -1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and, (b) possessing the following educational qualification and experience : Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) experience of seven years' in security or law enforcement in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Not applicable	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. Deputy Director (Internal Security).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non -Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short -term contract).	Deputation (including short -term contract) : Officers of Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutions: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department;

	or (ii) with five years' regular service in level-10 (Rs. 56,100-1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and, (b) possessing the following educational qualification and experience : Essential : (i) Bachelor of engineering or technology in electronics or communication or electrical or computer science or information technology from a recognised university or institute; (ii) seven years' experience in information technology security management in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. Desirable: Certified Information Security Auditor (CISA) or Certified Information Security Manager (CISM). Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
--	---

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
12. Deputy Director (Compliance)	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short -term contract).	Deputation (including short -term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' regular service in level-10

	(Rs. 56,100 -1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and, (b) possessing the following educational qualification and experience : Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) seven years' experience in contract management in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
--	---

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. Deputy Director (Planning).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non -Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short -term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' regular service in level-10(Rs. 56,100 -1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, (b) possessing the following educational qualification and experience : Essential : (i) Bachelor of engineering or technology in electronics

	or communication or electrical or computer science or information technology from a recognised university or institute; (ii) Seven years' experience in information technology, infrastructure planning in an established information technology set up in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
--	---

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
14. Deputy Director (Key Management).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short -term contract).	Deputation (including short -term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' regular service in level-10 (Rs. 56,100 -1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and, (b) possessing the following educational qualification and experience : Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) seven years' experience in handling crypto systems in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes.

	Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
--	---

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15. Deputy Director (Theme Unit).	5*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short -term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with five years' regular service in level-10 (Rs. 56,100 -1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, (b) possessing the following educational qualification and experience : Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) seven years' experience in working with information technology systems related to security or law enforcement agencies in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institute. (list of security and law enforcement agencies shall be provided at the time of advertisement or scrutiny.) Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age-limit for appointment by deputation (including

	short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.
--	---

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. Deputy Director (Linguist).	7*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-11 (Rs.67,700-2,08,700).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short- term contract).	Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with five years' regular service in level-10 (Rs. 56,100 -1,77,500) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department ; and, (b) possessing the following educational qualification and experience : Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) translation abilities from Indian or any other language to English; and, (iii) seven years' experience of working with law enforcement agencies in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. (List of law enforcement agencies will be indicated at the time of advertisement or scrutiny.) Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed four years. The maximum age- limit for appointment by deputation (including short-term contract) shall be not exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17. Assistant Director (Key Management).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-8 (Rs.47,600-1,51,100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with two years' regular service in level-7(Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, (b) possessing the following educational qualification and experience : Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) two years' experience in handling crypto systems in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18. Assistant Director (BMS Facility-DC).	5*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-8 (Rs.47,600-1,51,100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short-term contract).	Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with two years' regular service in level-7 (Rs. 44,900- 1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, (b) possessing the following educational qualification and experience : Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) two years' experience in running of Building Management System(BMS) or Intelligent Building Management System(IBMS) facility management in a Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes Desirable: One year experience in running of Building Management System (BMS) for data centre or Data Centre Infrastructure Management System (DCIM). Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
19. Assistant Director (BMS Facility-DR).	5*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-8 (Rs.47,600-1,51,100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short -term contract).	Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' regular service in level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, (b) possessing the following educational qualification and experience : Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) two years' experience in running of Building Management System (BMS) or Intelligent Building Management System (IBMS) facility management in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes . Desirable: One year experience of running of Building Management System(BMS) for data centre or Data Centre Infrastructure Management System (DCIM). Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. Assistant Director (Internal Security).	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-8 (Rs.47,600-1,51,100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short -term contract).	Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; or (ii) with two years' regular service in level-7 (Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, (b) possessing the following educational qualification and experience: Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) two years' experience in information technology security in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. Desirable: Certified Information Security Auditor (CISA) or Certified Information Security Manager (CISM). Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
21. Assistant Director (Compliance)	1*(2020) *(Subject to variation dependent on workload).	General Central Service, Group 'B', Gazetted, Non –Ministerial.	Level-8 (Rs.47,600-1,51,100).	Not applicable.	Not applicable.

(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Not applicable

(10)	(11)
Deputation (including short- term contract).	Deputation (including short-term contract) : Officers of the Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisation or public sector undertakings or universities or recognised research institution: (a)(i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department ; or (ii) with two years' regular service in level-7(Rs. 44,900-1,42,400) in the pay matrix or equivalent in the parent cadre or department; and, (b) possessing the following educational qualification and experience: Essential : (i) Bachelor degree from a recognised university or institute; (ii) two years' experience in contract management in Central Government or State Government or Union territories or autonomous or statutory organisations or public sector undertakings or universities or recognised research institutes. Note: The period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. The maximum age-limit for appointment by deputation shall be not exceeding fifty-six years as on the last date of receipt of applications.

(12)	(13)
Not applicable.	Consultation with Union Public Service Commission is necessary.

[No. 22018/03/2020-CIS. III (Pt. II)]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy.